N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0149   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 15/06/2025 19:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 12/06/2025   Date To (दिनांक तक): 13/06/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 16:30 बजे   Time To (समय तक): 17:45 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/06/2025   Time (समय): 17:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 15/06/2025 19:39:21 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 60 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b)Address(पता): KISAAN SEVA KENDRA, COOLEGE ROAD GOVINDGARH, ALWAR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MAJEED KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): MAHMOOD KHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOLIYA, LAXMANGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOLIYA, LAXMANGARH, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ALI HASAN		पिता:CHANDAN SINGH	1. HAAL SAHAYAK KARSHI ADHIKARI,AAO KARYALAY GOVINDGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	मिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 को वक्त करीब 4.00 पी.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री मजीद खानं पुत्र श्री महमूद खान जाति मेंव उम्र 34 साल निवासी ग्राम मोलिया, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री मजीद खानं को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री मजीद खानं ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मेरी पत्नी श्रीमती असजिदा के नाम की फर्म किसान सेवा केन्द्र नाम से कस्बा गोविन्दगढ में है। मेरे द्वारा उक्त फर्म के नाम से खाद, बीज व दवाई के लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के पोर्टल राज किसान पोर्टल पर दिनांक 31.12.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है। जिसका भौतिक निरीक्षण सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ के द्वारा किया जाना था। मेरी दुकान का भौतिक निरीक्षण नहीं होने पर मैं सहायक कृषि पर्यवेक्षक श्री अलीहसन से कई बार मिला, परन्तु उसने मेरा काम नहीं किया, आज दिनांक 12.06.2025 को भी श्री अलीहसन, सहायक कृषि पर्यवेक्षक से मिला तो उसने मुझसे 5000 रूपये की रिश्वत मांग की और मुझसे कहा कि उच्च अधिकारी ।एक्ण् साहब से बात चितकर मे तेरा दुकान का भौतिक निरीक्षण कर दुंगा, जिसके बदले में तुझे, मुझे 3000 रिश्वत राशि देनी होगी। मैं श्री अलीहसन सहायक कृषि पर्यवेक्षक को रिश्वत नहीं देना चाहता। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। मैं मेरी पत्नी के नाम के फर्म के कागजात आधार कार्ड, हस्ताक्षरयुक्त प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं" और पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री अलीहसन से कोई रंजिष या दुष्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री मजीद खान ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर वक्त करीब 4.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन आज ही करवाने के लिए कहा तो परिवादी श्री मजीद खान ने कहा कि आरोपी श्री अलीहसन, सहायक कृषि पर्यवेक्षक 5 बजे तक ही ऑफिस में बैठता है। मैं कल सुबह आपके एसीबी ऑफिस नही आ सकता। अतः आप अपने किसी कर्मचारी को कल दिनांक 13.06.2025 को 10-11 बजे तक कस्बा गोविन्दगढ भिजवा देना। मैं रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। इस पर कार्यालय में उपस्थित श्री रामजीत सिंह कानि. 206 को कक्ष में बुलाकर पहले से उपस्थित परिवादी श्री मजीद खान से आपसी परिचय करवाकर एक-दूसरे के मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये, जिसके बाद कार्यालय की अलमारी मे श्री रामजीत कानि 206 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री मजीद खान को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर, परिवादी को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 13.06.2025 को श्री अलीहसन, सहायक कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर, आपकी पत्नी श्रीमती असजिदा के नाम की फर्म किसान सेवा केन्द्र नाम से उक्त फर्म के नाम से खाद, बीज व दवाई के लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के पोर्टल राज किसान पोर्टल पर भौतिक निरीक्षण के क्रम में श्री अलीहसन सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे साथ ही श्री रामजीत कानि 206 को निर्देशित कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अलीहसन सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने का प्रयास करे, रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कल दिनांक 13.06.2025 को प्रातः 10-11 बजे कस्बा गोविन्दगढ में मिलने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय मे रवाना किया गया। दिनांक 13.06.2025 को वक्त करीब 8.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी मे श्री रामजीत कानि 206 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड ¼AAO) लगाकर परिवादी श्री मजीद खान को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर श्री सुनीता हैड कानि. के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को जरिये फर्द सुपुर्द

किया जाकर हिदायत दी गई की वह कस्बा गोविन्दगढ पहूंच परिवादी श्री मजीद खान से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अलीहसन सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने का प्रयास करे, बाद रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी को साथ लेकर ब्यूरों कार्यालय आकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। आवश्यक हिदायत देकर, श्री रामजीत कानि 206 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.55 ए.एम पर श्री रामजीत सिंह कानि. 206 ने जरिये वाटसअप कॉल अवगत करवाया कि परिवादी श्री मजीद खान ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामजीत सिंह कानि. को निर्देश दिये गये कि आप परिवादी को आरोपी द्वारा की गई रिश्वत की मांग राशि सहित साथ लेकर कार्यालय आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 11.15 ए.एम पर नगर निगम अलवर को राजकार्य/स्वतंत्र गवाह पाबन्द कर भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजीत कानि 206 मय परिवादी श्री मजीद खान के ब्यूरों कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री रामजीत कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डषुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मजीद खान ने बताया कि आज आपके कार्यालय के कर्मचारी रामजीत सिंह कानि. ने मुझे करीब 10.15 मिनट पर मोबाईल फोन कर बताया कि मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु आ गया हूं, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल गोविन्दगढ के मैन गेट पर खडा हूं आप यहा आ जाओ जिस पर मैं, मेरी पास में ही स्थित कॉलेज रोड पर किराये की खाद, बीज की दुकान से रामजीत सिंह कानि. के पास राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल गोविन्दगढ के मैन गेट पर आ गया जहां पर रामजीत सिंह कानि. खडे मिले। जहा पर विभागीय टेप रिकॉर्डर श्री रामजीत कानि. द्वारा चालू कर मुझे सुपुर्द किया इसके बाद मैं और श्री रामजीत सिंह कानि. मेरी मोटर साईकिल से वहा से रवाना होकर सरकारी कॉलेज के पास पहूंच कर साईड में मोटर साईकिल से रामजीत कानि. को उतारकर मैं सरकारी कॉलेज के मैनगेट के पास बने अटल सेवा केन्द्र में स्थित कृषि कार्यालय में पहूंचा जहा पर श्री अलीहसन सहायक कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित मिले जिससे मेरी उससे दुआ सलाम होने के बाद मेरी पत्नी असजिदा के नाम की फर्म किसान सेवा केन्द्र की खाद व दवाई के लाईसेंनस के लिये फिजीकल वैरीफिकेषन कर ऑन लाईन स्थान परिवर्तन के लिय स्वयं एवं ।क् के नाम से आरोपी द्वारा 3000/-रूपये की रिश्वत राशी मांग की गई है तथा आज ही सायं को जुम्मे की नमाज बाद सायं को दुकान पर आकर भौतिक सत्यापन करने की कही, जिसके बाद मैं अटल सेवा केन्द्र में स्थित कृषि कार्यालय से बाहर निकल सरकारी कॉलेज के मैन गेट पर खडे श्री रामजीत कानि. के पास पहुंचा जिसे मैं, मेरी मोटर साईकिल पर बैठा कर राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल गोबिन्दगढ के मैन गेट पर पहूंचा। जहां श्री रामजीत कानि. ने मुझसे विभागीय टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद श्री रामजीत सिंह कानि. 206 ने आपसे मोबाईल पर बात की थी। इसके बाद आरोपी अलीहसन द्वारा मांगी गई रिश्वत की राशि 3000 रूपये सहित, हम दोनो वहा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अलवर आये। इस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित श्री रामजीत कानि से पूछने पर श्री रामजीत कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामजीत कानि. द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरशुदा वार्ता के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री अलीहसन द्वारा परिवादी श्री मजीद खान की पत्नी असजिदा के नाम की फर्म किसान सेवा केन्द्र की खाद व दवाई के लाईसेंनस के लिये फिजीकल वैरीफिकेशन कर ऑन लाईन स्थान परिवर्तन के लिय स्वयं एवं उच्चाधिकारियो के नाम आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में 1000/-रूपये प्राप्त करने तथा 3000/-रूपये की रिश्वत राशी मांग करना स्पष्टतः पाये जाने पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड को बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली 3000 रूपये साथ ही लाया हूं। वक्त करीब 12.45 पी.एम पर नगर निगम अलवर से पाबन्दशुदा दो कर्मचारी उपस्थित एसीबी कार्यालय आये, उपस्थित कार्मिकों से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री कपिल मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 38 साल निवासी ए-19 वैशाली नगर अलवर हाल सहायक कर्मचारी नगर निगम अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री रमेश चन्द गुर्जर पुत्र श्री ईश्वर सिंह गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर हाल सहायक कर्मचारी नगर निगम अलवर बताया। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री मजीद खान का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री मजीद खान द्वारा दिनांक 12.06.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री मजीद खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री अलीहसन, सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि

के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा आज दिनांक 13.06.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व आरोपी अलीहसन के मध्य रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर, विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मजीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि पर्यवेक्षक गोविन्दगढ की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मजीद खान के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक के पेनड्राईव कवर में रखकर पेनड्राईव को कवर सहित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.06.2025 रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलडचिट कर उस पर मार्क SD-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जो पेन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती पेन ड्राईव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 13.06.2025 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी.एम पर गवाह श्री कपिल मीणा हाल सहायक कर्मचारी, कार्यालय नगर निगम अलवर व श्री रमेश चन्द गुर्जर हाल सहायक कर्मचारी, नगर निगम अलवर के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मजीद खानं पुत्र श्री महमूद खान जाति मेंव उम्र 34 साल निवासी ग्राम मोलिया, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को संदिग्द आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000 निकालकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये, उक्त नोटों का अंकन फर्द पेशकशी में करवाकर श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री मजीद खानं की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश चन्द गुर्जर से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 3,000/- रूपये को श्री कपिल सोमवंषी, कनिष्ठ सहायक क से परिवादी श्री मजीद खानं के पहने हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री मजीद खानं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथों से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मजीद खानं को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स में रखवाया

गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरों विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर मय एसडी कार्ड के विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड को श्री रामजीत कानि. को सुपुर्द किया गया तथा श्री रामजीत कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों का विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर के ही रवाना करे। श्री कपिल सोमवंषी, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 3.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री कपिल मीणा व श्री रमेश चन्द गुर्जर एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत कानि. 206, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रषासनिक अधिकारी मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द तथा परिवादी श्री मजीद खान व श्री भगवान सिंह कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब गोविन्दगढ के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.10 पी.एम पर मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा सीनियर सैकण्डरी सरकारी स्कूल गोविन्दगढ के सामने बनी सर्किल पर पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर परिवादी से आरोपी की लोकेशन जानने के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी अलीहसन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी की कॉलेज रोड स्थित किराये की दुकान पर पांच मिनट में आने की कहीं जिस पर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री रामजीत कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर परिवादी को रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कॉलेज रोड स्थित परिवादी के किराये की दुकान के पास पहूंचकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 5.45 पी.एम पर परिवादी श्री मजीद खानं ने कस्बा गोविन्दगढ कॉलेज रोड पर स्थित स्वयं की खाद, बीज की अपनी किराये की दूकान के बाहर बने चबूतरे पर आकर समय 5.45 पीएम पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् अतिरिक्त पुलस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त दुकान के पास पहूंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर टेपरिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसी दौरान एक व्यक्ति जो उक्त दुकान के आगे बने चबूतरे पर स्टूल पर बैठा हुआ था ने एसीबी टीम को परिवादी व अपनी तरफ आते देख तथा परिवादी से बातचीत करते हुये देखने पर अपनी पहनी हुई शर्ट की बाई जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट निकालकर उक्त दुकान के बाहर बने चबूतरे पर फैक दिये और भागने लगा इस पर परिवादी श्री मजीद खां ने तत्काल ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष उक्त व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया की ये ही श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी है जिसने अभी अभी मेरे से मेरी खाद, व दवाई की दुकान के निरीक्षण के लिये आज सुबह की गई रिश्वत मांग के क्रम में 3000/-रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्टाफ की सहायता से उक्त व्यक्ति को पकडवाया जाकर उसे अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर उसको तसल्ली देकर उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चबुतर पर स्टूल पर बैठाया गया तथा पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अली हसन पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति मुसलमान, उम्र 52 साल निवासी भारतीयम स्कूल के पास सीकरी रोड, गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक कृषि अधिकारी, ¼AAO) कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री अली हसन से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री अली हसन ने उक्त दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के समक्ष बताया की मै थोडी देर पहले श्री मजीद खांन की दुकान पर इसके फोन पर बात करने के बाद आया ये मुझे अपनी किसान सेवा केन्द्र की दुकान पर आया कुछ समय पष्चात श्री मजीद खांन बगल वाली दुकान से स्वयं की दुकानपर आया और मुझसे उसकी पत्नी के नाम मे किसान सेवा केन्द्र, खाद, बीज व दवाई के लाइसेन्स दुकार ग्राम पंचयात बारोली तहसील गोविन्दगढ में संचालित की जा रही थी जो कुछ समय पहले इनके द्वारा ग्राम बारोली से गोविन्दगढ में षिप्ट कर करने पर इसके द्वारा कृषि विभाग के राज किसान पोर्टल पर खाद, व दवाई, बीज के लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन के लिये आवेदन किया गया था। कल दिनांक 12.06.2025 कोये मेरे से मेरे ऑफिस में आकर मिला तथा इसने मुझे अपनी खाद, दवाई के जारीशुदा लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन के लिये भौतिक निरीक्षण कर राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करने के बारे में बातचीत की थी। इसके बाद

आज सुबह करीब दस ग्यारह बजे ये मेरे कार्यालय में आया मुझसे दुकान का मौका निरीक्षण के बारे में बातचीत की तब मैने इनसे आज शाम को दुकान पर आने के लिये कहा था। इसके बाद आज शाम करीब 5.15 बजे के आस पास मेरे पास फोन आया तब मैने इसको 05 मीनट में आने की कहा इसके बाद मे इसकी दुकान पर आ गयां। इसके बाद हम दोनो बातचीत की तथा मैने मेरे मोबाईल मे मेरी सरकारी आईडी से राज किसान साथी पोर्टल को खोलकर इसकी दुकान की बाहरी और अन्दर की इसकी पत्नी के साथ आवश्यक फोटो ली जाकर इसकी दुकान के लाइसेन्स में स्थान परिवर्तन के लिये राज किसान साथी पोर्टल पर भौतिक निरीक्षण के फोटो अपलोड करने के बाद मजीद खान ने जबरदस्ती मेरी शर्ट की जेब में 3000/-रूपये रख दिये और इसके बाद मै इस चबुतरे पर रखी स्टूल पर बैठ गया। मैने श्री मजीद खां से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की इसने जबरदस्ती मेरी जेब में रख दिये और इतनी देर में आप लोग तेजी से चलते हुये मजीद खांन के पास आकर इससे बातचीत करने लगे तब मुझे शक हो गया तब मैने मजीद खा द्वारा मेरी जेब में रखे गये 3000/- रूपये को निकालकर कर चबुतरे पर फैक दिये जो अभी भी चबुतरे पर पडे हुये है। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी अली हसन द्वारा बताये गये तथ्यो तथा मन एएसपी व दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो द्वारा आरोपी अली हसन के द्वारा रिश्वत राशि को फैकते समय देखा गया था उक्त चबुतरे पर पडी हुई रिश्वत राशि को गवाह श्री कपिल मीणा से उठवाया जाकर गिनवाया जाकर उक्त 500-500 के 06 नोट कुल 3000/-रूपये की राशि होना बताया। उक्त राशि को गवाह श्री कपिल मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई। आरोपी के उक्त कथन पर उपस्थित परिवादी श्री मजीद खान ने दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री अली हसन साहब झूठ बोल रहे है, मै इनसे कल दिनांक 12.06.2025 को मिला और मेरी पत्नी के नाम फर्म किसान सेवा केन्द्र के नाम से ग्राम बारोली में खाद बीज व दवाईयों की दुकान लाईसेन्सशुदा को मेरे द्वारा वर्ष 2024 मे उक्त खाद, बीज के कार्य के लिये कस्बा गोविन्दगढ में उक्त दुकान किराये पर लेकर काम शुरू काम शुरू करने तथा मेरे द्वारा कृषि विभाग के राज किसान पोर्टल पर खाद, बीज व दवाई के लाईसेन्स का स्थान परिवर्तन की कार्यवाही करने के लिये बातचीत की तो इनहोने मुझसे मेरी दुकान निरीक्षण कर रिपोर्ट किसान पोर्टल पर अपलोड करने के लिये 5000/-रूपये की मांग की इसके बाद मै इनसे आज सुबह 10.30 के आस पास इनके कार्यालय में गया और मेरी पत्नी के नाम फर्म के खाद, व दवाई का लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन के लिये निरीक्षण करने हेतु कहा तो इनहोने मुझसे कहा की आज शाम को एडी साहब से बात कर लूंगा और दोपहर में नवाज पढने के बाद फोन कर दूंगा और मुझसे कहा की तुम्हारे निरीक्षण के काम के लिये 3000/-रूपये देने पडेगे मै आपका का काम आज या कल कर दूंगा। इसके बाद आज मैने इसको आप के सामने ही मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से इसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन किया तो इसने मुझसे 05 मीनट में दुकान पर आने की कही। इसके मुझें आपने टेपरिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर मेरी दुकार के लिये रवाना कर दिया मै जब मेरी दुकान पर पहूंचा तो अली हसन मुझे मेरी दुकान मे अन्दर बैठा मिला और मेरे से बातचीत की तब मैने अली हसन से कहा की साहब आपको 1000/-रूपये तो पहले दे दिये और आपने आज सुबह 3000/-रूपये और देने की कही थी, आप 3000/-रूपये लो और मेरा काम कर दो। इसके बाद इसने मैने मेरे पेन्ट की दाहिनी जेब से पाउडर युक्त रिश्वत राशि 3000/-रूपये निकालकर दिये और इसने मुझे अपने बाये हाथ से रूपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रख लिये। इसके बाद मेरी पत्नी दुकान पर आने के बाद इसने अपने मोबाईल से मेरी पत्नी के साथ दुकान के अन्दर व बाहर की आवश्यक फोटो ग्राफ लेकर अपने मोबाईल से राज किसान साथी पोर्टल खोलकर उक्त पोर्टल में ही भौतिक निरीक्षण के फोटो ग्राफ अपलोड कर दिये और मुझसे कहा की आपका काम डन कर दिया है। इसके बाद ये चबुतरे पर रखी स्टूल पर जाकर बैठ गया इसी दौरान मैने आपको निर्धारित इशारा कर दिया और आप आकर मुझसे बातचीत करने लगे तब इसने अपनी पहनी हुई शर्ट की बाई जेब में रखी 3000/-रिश्वत राशि को निकालकर चबुतरे पर फैक दिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी अली हसन से पुनः पूछा की आपने अभी थोडी देर पहले परिवादी मजीद खां ने जबरदस्ती आपकी शर्ट की जेब में पैसे रख दिये की बात कही तो आपने इसका विरोध क्यो नही किया इस पर श्री अली हसन कुछ नही बोला और चुप रहा। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स से दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त किसान सेवा केन्द्र की दुकान मे रखे पानी के कैम्पर से श्री भीम सिंह कानि से मंगवाकर दोनो गिलासों को पानी से साफ करवाकर दोनो गिलासो में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अली हसन, के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शिशियो में आधा- आधा भरवाकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अली हसन के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीशियों में आधा- आधा भरवाकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी के बदन पर पहनी शर्ट को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर बाजार से नई टी-शर्ट मंगवाकर पहनने को दिया गया एवं उक्त शर्ट की सामने की बाई जेब में रखी एक स्लिप पैड व चश्मा को बाहर निकलवाकर गवाह कपिल मीणा के पास

सुरक्षित रखवाई जाकर उक्त शर्ट की सामने की बाई जेब जहां रिश्वत की राशि लेकर रखी थी को एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर दुकान में रखे कैम्पर से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री भीम सिंह कानि. से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी अली हसन के बदन से उतरवाई हुई शर्ट की सामने की बाई जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S-1, S-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री रमेश चन्द गुर्जर, से आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछली जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें आरोपी के पहचान पत्र, आधार कार्ड व 300 की राशि मिला तथा एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मिला जिसे गवाह श्री कपिल के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद आरोपी अली हसन ट्रेप पार्टी को देखकर पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 3000/-रूपये को चबुतरे की फर्श पर फैक दिया था। जिस गवाह श्री कपिल मीणा से उठवाई जाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये की 06 नोट कुल 3000/-रूपये है।. उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से दोनो गवाहान से पुनः करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3000/- की रिश्वत राशि को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखवाया जाकर उक्त लिफाफे पर परिवादी व दोनो गवाहान व आरोपी श्री अली हसन, के हस्ताक्षर करवाया जाकर तथा लिफाफे को सील्ड मोहर कर मार्क जड अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह कपिल मीणा के पास सुरक्षित रखाये गये विवो कम्पनी का मोबाईल फोन के लॉक को आरोपी से खुलवाया जाकर चैक किया गया तो राज किसान साथी वैरीफिकेशन के अकाउण्ट आई डी rjal 200102005724 माईन इन करने पर लाईसेन्स के ऑपशन पर कीटनाशक ब्रिकी के प्रकार लाईसेंस भौतिक सत्यापन में एक लम्बित व तीन पूर्ण एड आ रहे है। पूर्ण एड को क्लिक करने पर असीजदा पिता रूजदार खांन मोबाईल नम्बर [redacted] आवेदन का प्रकार एमेन्डमेन्ट में परिवादी से संबंधित कार्य की भीतरी व बाहरी फोटो अपलोड की हुई है तथा सत्यापन सही है पर निशान लगाया हुआ है। उक्त मोबाईल से कार्यालय में पहूंचकर पृथक से एप पर अपलोड किये गये परिवादी के कार्य से संबंधित का स्क्रीन सोर्ट लिया जाकर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। मोबाईल को बंद कर गवाह श्री कपिल मीणा के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी एस.डी कार्ड लगवाया जाकर से श्री भगवान कानि. से करवाई गई। जिसकी पृथक मे फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। मौक पर स्थानिय लोगो की भीड होने कार्यवाही मे व्यवधान होने की प्रबल सम्भावना होन मौके पर लाईट आदि व्यवस्था नही होने तथा अग्रिम कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त स्थान नही होने के कारण जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टीक्ल, ट्रेप बाक्स में रखवाये जाकर मय हमराह आवयक साजो सामान के साथ लेकर, तथा डिटेनशुदा आरोपी श्री अली हसन, परिवादी, दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्य को हमराह लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनो से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वक्त करीब 7.15 पी.एम पर कस्बा गोविन्दगढ से एसीबी चौकी अलवर के लिये रवाना हुआ शेष कार्यवाही की कार्यालय में की जावेगी। वक्त करीब 9.00 पी. एम पर मय हमराहीयान के मय आरोपी अली हसन मय जप्तशुदा आर्टिक्लस के हमराह साजो सामाने के चौकी पर पहूंचा। वाहनो को कार्यालय में खडा करवाया गया आरोपी को स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया तथा जप्तशुदा आर्टिक्लस को कार्यालय में रखवाया जाकर पुनः अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही के दौराना परिवादी श्री मजीद खांन से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया था को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर लैपटॉप की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय की मोबाईल व रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, इसके बाद आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के समय आप द्वारा आपके के विभाग के एडी के लिये रिश्वत राशि मांग करने के तथ्या आये है के बारे पूछा तो आरोपी श्री अली हसन ने एडी के के लिये रिश्वत राशि लेने के लिये इनकार कर उक्त राशि स्वय लिये मांग करना व लेना बताया। इसके बाद रिश्वत परिवादी श्री मजीद खांन व आरोपी अली हसन को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 62 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2025 को वक्त करीब 12.30 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी आरोपी श्री अलीहसन पुत्र श्री चन्दन सिंह जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी भारतीयम स्कूल के पास सीकरी रोड, गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक कृषि अधिकारी ¼AAO½ कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर को हस्वकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 1.20 ए.एम पर आरोपी का मोबाईल फोन जो गवाह श्री कपिल मीणा के पास कार्यवाही के दौरान मौके पर सुरक्षित रखवाया गया था को लेकर दोनो

गवाह, परिवादी व श्री मंगतू राम शर्मा सहायक निदेशक कृषि जिला अलवर के समक्ष आरोपी श्री अलीहसन सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर की मौजूदगी में ऑन करवाकर आरोपी से फॉन का लॉक खुलवाकर कृषि विभाग के राज किसान साथी एप को आरोपी की आईडी से खुलवाया जाकर परिवादी से संबंधित कार्य का स्क्रीन शॉट का प्रिन्ट लिया जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये। वक्त करीब 1.40 ए.एम श्री मंगतू राम शर्मा सहायक निदेशक कृषि जिला अलवर को आरोपी श्री अली हसन सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर की गिरफतारी की सूचना दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मजीद खान से आरोपी श्री अलीहसन सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ द्वारा 3000/-रूपये रिश्वत मॉगने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भगवान सिंह कानि. द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री भगवान सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी की तीन पेन ड्राईव 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक के कबर मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1, C-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1, C-2 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क ब्.3 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पेन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द जप्ती एसडी कार्ड एवं जब्ती पैन ड्राईव रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियोग्राफी दिनांक 13.06.2025 तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।तत्पश्चात वक्त करीब 4.20 ए.एम गवाह श्री कपिल मीणा व श्री रमेश चन्द गुर्जर सहायक कर्मचारी नगर निगम अलवर के समक्ष के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी, गोविन्दगढ के मध्य दिनांक 13.06.2025 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में दिनांक 13.06.2025 को रिश्वत लेन देन के समय परिवादी व आरोपी अली हसन के मध्य रूबरू वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर/लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मजीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर/लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी मे तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मजीद खान के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक के पेनड्राईव कवर में रखकर पेनड्राईव को कवर सहित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर सीलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 13.06.2025 रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क SD-3 अंकित कर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जो पेन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। जिसकी पृथक मे फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती पेन ड्राईव रिश्वत लेन देन वार्ता, दिनांक 13.06.2025 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिकल्स एवं वजह सबूत को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा

गया। दिनांक 14.06.2025 को वक्त करीब 9.40 एएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कपिल मीणा व श्री रमेश चन्द गुर्जर सहायक कर्मचारी नगर निगम अलवर मय परिवादी श्री मजीद खान एवं एसीबी स्टाफ सदस्य श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मय वाहन सरकारी मय चालक महेशचन्द के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु एसीबी चौकी अलवर से रवाना होकर समय 08.40 एएम पर कॉलेज रोड गोविन्दगढ स्थित परिवादी के किराये की दुकान घटना स्थल पर पहुंचा। जहां पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मजीद खान की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके से मय हमराहियान के समय 09.40 एएम पर घटना स्थल से रवाना हुआ। इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बाद घटना स्थल निरीक्षण बाद नक्शा मौका की कार्यवाही के मय हमराही जाप्ता दोनो गवाहान व परिवादी के मय वाहन सरकारी बोलरो मय चालक महेश चन्द के उपस्थित चौकी आया। इस समय वक्त करीब 11.55 एएम पर श्री मंगतू राम शर्मा सहायक निदेशक कृषि जिला अलवर उपस्थित कार्यालय आये जिन्होने जरिये पत्र परिवादी श्री मजीद खान की पत्नी श्री अरसिदा के किसान सेवा केन्द्र गोविन्दगढ के जारी लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन का राज किसान पोर्टल पर आवेदन करने तथा उसका वर्तमान स्टैटस की प्रमाणित प्रति तथा आरोपी श्री अली हसन सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर के सेवा विवरण उपलब्ध करवाया गया। संबंधित रिकॉर्ड को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 62 को श्री भास्कर हैड कानि 59 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में जप्त/शील्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी अली हसन पुत्र श्री चन्दन सिंह जाति मुसलमान, उम्र 52 साल निवासी भारतीयम स्कूल के पास सीकरी रोड, गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक कृषि अधिकारी, ¼AAO) कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री मंजीद खान से परिवादी की पत्नी के नाम फर्म किसान सेवा केन्द्र के नाम से ग्राम बारोली में खाद बीज व दवाईयों की दुकान लाईसेन्सशुदा थी परिवादी द्वारा वर्ष 2024 मे उक्त खाद, बीज के कार्य के लिये कस्बा गोविन्दगढ में दुकान किराये पर लेकर काम शुरू किया गया तथा परिवादी द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खाद, बीज व दवाई के लाईसेन्स का स्थान परिवर्तन के लिये दिनांक 31.12.2024 को ऑन लाईन आवेदन करने पर उक्त दुकान का कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण कर लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन किये जाने के लिये सहायक कृषि पर्यवेक्षक अली हसन कृषि विभाग गोविन्दगढ द्वारा उक्त लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन करने के लिये परिवादी से 1000/- रूपये रिश्वत लेकर बीज के लाइसेंन्स में स्थान परिवर्तन कर देना तथा खाद व दवाई के लाईसेंनस मे स्थान परिवर्तन के लिये फिजीकल वैरीफिकेशन कर ऑन लाईन स्थान परिवर्तन की राज किसान पोर्टल पर सकारात्मक रिपोर्ट अपलोड करने के लिये स्वयं एवं उच्चाधिकारियो के नाम से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 13.06.2025 को 3000/-रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुसरण में वक्त रिश्वत लेन देन दिनांक 13.06.2025 को परिवादी से परिवादी की किराये की दुकान पर 3000/-रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

अतः श्री अली हसन पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति मुसलमान, उम्र 52 साल निवासी भारतीयम स्कूल के पास सीकरी रोड, गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक कृषि अधिकारी, ¼AAO) कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है।भवदीय (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अलवर। ....कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अली हसन पुत्र श्री चन्दन सिंह, जाति मुसलमान, उम्र 52 साल निवासी भारतीयम स्कूल के पास सीकरी रोड, गोविन्दगढ जिला अलवर हाल सहायक कृषि अधिकारी, (AAO) कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 848 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 866-69 दिनांक 15.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो,

जयपुर-चतुर्थ, 3.आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राज.,जयपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/06/2025 19:41:55

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)